तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/106/2005/बाडमेर बालाराम व अन्य बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-11-18	**एकलपीठ** **श्री धूकलराम कसवां, सदस्य** **उपस्थित** श्री लाघूराम पूनिया अभिभाषक प्रार्थी श्री अनिल राठी अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय** यह निगरानी अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय दिनांक 2–12–04 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि खातेदार पुरखा के फौत होने पर तहसीलदार बाडमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 5 विरासत के आधार पर दिनांक 2–8–94को स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाडमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 11–3–97 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 2–12–04 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये बताया कि पुरखा का लडका भारमल पुरखा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/106/2005/बाडमेर बालाराम व अन्य बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

से पहले फौत हो गया था जिसके कोई पत्नी या सन्तान नहीं थी,उसने किसी से शादी नहीं की।उसका देहान्त बाल्यावस्था में ही हो गया था। भारमल की पत्नी बनकर जिस दिन फतु ने आलोच्य नामान्तरकरण में अपना नाम दर्ज कराया है,वह कभी भी भारमल की पत्नी नहीं रही तथा वह वीराराम की पत्नी है। सरकारी रेकार्ड में जो दस्तावेज पुरखा के फौत होने के पहले के हैं,उसमें भी उसका नाम वीराराम की पत्नी के रूप में दर्ज है तथा उसकी लडकी श्रीमती चौथी के पिता का नाम भी वीराराम दर्ज है। यह सभी तथ्य दस्तावेजों से साबित किये गये। आलोच्य नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व तहसीलदार ने उक्त तथ्यों की कोई जांच नहीं की। इसलिये आक्षेपित नामान्तरकरण निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वीराराम की जीवित पत्नी होते हुये श्रीमती फतू के साथ उसका विवाह होने की बात निराधार है। फतू मृतक भारमल की विवाहिता पत्नी होने से वह अपने पति की भूमि में अधिकार रखती थी और नामान्तरकरण में फतू पत्नी भारमल का नाम अंकित करने में तहसीलदार ने कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है। दोनें अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकण संख्या5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार पुरखा के फौत होने पर तहसीलदार बाडमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 5 बाद जांच विरासत के आधार पर दिनांक 2–8–94 को वाला,वीरा,माधा पिसरान पुरखा,पती पत्नी भारमल,गवरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/106/2005/बाडमेर बालाराम व अन्य बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्नी किस्तूरा के नाम स्वीकृत किया गया है। फतु का विवाह मृतक खातेदार पुरखा के पुत्र भारमल के साथ हिन्दू विधि एवं विश्नोई समाज के रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ जिसकी एक सन्तान चौथी भी हुई है जो शादी शुदा है और ग्राम उपरला में निवास करती है। प्रार्थी संख्या 2 वीराराम की शादी श्रीमती बाली पुत्री जगराम निवासी उपरला के साथ हुई है जो अभी तक जीवित पत्नी है। हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रावधानें के तहत दो हिन्दुओं के मध्य तभी विवाह वैध माना जावेगा जब विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न वधू का कोई जीवित पति हो। इस प्रकरण में वीराराम की पत्नी जीवित होते हुये उसका विवाह फतु के साथ करने का तथ्य निराधार हो जाता है। अगर ऐसा विवाह कर भी लिया गया है तो हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत मान्य नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार श्रीमती फतु मृतक पुरखाराम के जायन्दा पुत्र भारमल की विवाहिता पत्नी है। इसलिये प्रश्नगत नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासत के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। दोनें अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें निगरानी के स्तर पर हम बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवां)** **सदस्य**	